

भाग-I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 अगस्त, 2026

संख्या लैज. 30/2026.— दि हरियाणा डिवेलपमेन्ट ऐन्ड रेगुलेशन आफ अर्बन एरियाज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2026 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 27 जुलाई, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 25**हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2026****हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975****को आगे संशोधित****करने के लिए****अधिनियम**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।
(2) यह 30 जनवरी, 2026 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7क में, "पट्टे" शब्द के बाद, "या विनियम विलेख" शब्द रखे जाएंगे।
3. (1) हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 7क का संशोधन।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।